कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दमोह वनमण्डल दमोह (म.प्र.)

पता–कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज के पास, सिविल वार्ड नं–4, जिला दमोह, (म.प्र.) पिन–470661

ई–मेल–dfotdmoh@mp.gov.in फोन नं. 07812.222541 फेक्स –227205

क्रमांक/मा.चि./2021/ 4910 दमोह, दिनांक 17-11-21

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
सिंग्रामपुर/सिंगौरगढ़

विषय :– वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत दमोह जिले में वनभूमि पर जबेरा–तेन्दूखेड़ा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य क्षेत्र एवं ईको सेंसेटिव क्षेत्र में पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकवा 0.2525 हे0 में कार्य की अनुमति बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण कमांक **FP/MP/PIPELINE/145254/2021**)

संदर्भ :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल का पत्र कमांक/5261 दिनांक 22.07.2021.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्रपृ0 कमांक/एफ –11/07/35/ 10–11/1187 दिनांक 03.06.2009, एफ0–11/2019/10–11/235 दिनांक 16.01.2020, 3026 दिनांक 11.09.2020, 161 दिनांक 12.01.2021, 3598 दिनांक 01.11.2021.
3. इस कार्यालय का पत्र कमांक/मा.चि./2021/815 दिनांक 01.09.2021.
4. महाप्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना कियान्वयन इकाई दमोह एफ–1 सिचाई कॉलोनी जबलपुर नाका रोड दमोह का पत्र कमांक/125 दिनांक 19.01.2021 एवं 1346/म.प्र.ज.नि./परि.कि.इ./2021 दिनांक 17.08.2021.

-------------000-------------

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिसमें आवेदक संस्थान द्वारा वनभूमि पर जबेरा–तेन्दूखेड़ा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य क्षेत्र एवं ईको सेंसेटिव क्षेत्र में पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव कमांक **FP/MP/PIPELINE/5573/2020** द्वारा नोडल अधिकारी के अनुमोदन उपरांत इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका परिक्षेत्र अधिकारी सिंगौरगढ़ द्वारा स्थल निरीक्षण कर भाग– 1, 2 एवं भाग–3 की पूर्ति कर हार्ड कॉपी सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ को प्रेषित किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र दिनांक 22.07.2021 द्वारा प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति ली गई कि प्रकरण में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुमति के साथ–साथ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भी स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।

इस सम्बंध में आवेदक संस्थान द्वारा वनभूमि पर जबेरा–तेन्दूखेड़ा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य क्षेत्र एवं ईको सेंसेटिव क्षेत्र में पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव कमांक **FP/MP/PIPELINE/145254/2021** द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु प्रस्तुत कर हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई। जिसमें आवश्यक कार्यवाही करते हुये भाग–1 एवं 2 की पूर्ति कर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ को प्रेषित किया गया। एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक/एफ –5/2021/10–11/3598 दिनांक 01.11.2021. द्वारा प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र कमांक//एफ –5/2018/10–11/4071–4072 दिनांक 31.12.2018 में दिये गये निर्देशानुसार एवं आवेदक संस्थान द्वारा कोई वृक्ष प्रभावित नहीं होने के प्रमाण पत्र के आधार पर 0.2525 हे. वनभूमि पर पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु सैद्धांतिक अनुमति निम्न शर्तो के अधीन जारी की जाती हैं:–

1. स्वीकृति के अधीन पानी की पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित होने वाली वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

S. No.	Range	Comp. no.	lenth m.	width m.	area (h.)
1	Singorgarh	RF-313	630	0.75	0.0473
2	Singorgarh	RF-313	530	0.75	0.0398
3	Singorgarh	RF-313	340	0.75	0.0255
Total-					0.1125
4	Singrampur	PF-73	2000	0.7	0.14
Total-					0.14
Grand Total-					0.2525

2. व्यपवर्तित वनभूमि का उपयोग वनभूमि पर जबेरा–तेन्दूखेड़ा समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत पानी की पाईप लाईन बिछाने के कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य परियोजना में नहीं किया जायेगा एवं शर्त कमांक 1 में उल्लेखित लम्बांई एवं चौड़ाई में कार्य किया जायेगा जिसके उल्लघंन करने पर यूजर एजेंसी/आवेदक संस्थान वैद्यानिक कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।
3. वनक्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेगें।
4. किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जायेगा और न ही नुकसान पहुंचाया जायेगा।
5. यह स्वीकृति के जारी दिनांक से एक वर्ष तक कार्य प्रारंभ न किए जाने पर अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी, साथ ही कार्य पूर्ण होने के उपरांत यदि पुनः कार्य प्रांरभ किया जाता है तो इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा।
6. वनक्षेत्र में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

7. वनमण्डल अधिकारी समय–समय पर स्थानीय पौधे एवं जन्तुओं के संरक्षण व विकास के लिए शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर कोई नई शर्त लगाने के लिए सक्षम रहेगें एवं शासन द्वारा भविष्य में अन्य कोई राशि/शर्त अधिरोपित की जाती है तो आवेदक संस्थान/यूजर एजेंसी को मान्य होगी।
8. वनक्षेत्र में वनभूमि पर जबेरा–तेन्दूखेड़ा समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत पानी की पाईप लाईन बिछाने के कार्य हेतु यदि वनक्षेत्र को कोई नुकसान होता है तो कार्यान्वित करने वाली ऐजेंसी परियोजना लागत पर ऐसे नुकसान की भरपाई करेगी। नुकसान का निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
9. वनभूमि पर जबेरा–तेन्दूखेड़ा समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत पानी की पाईप लाईन बिछाने के कार्य में लगने वाली सामग्री वन भूमि से खोदी/निकाली अथवा एकत्रित नही की जावेगी।
10. वन भूमि की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे Right Of Way के तहत है, Right Of Way से तात्पर्य मार्ग के किनारे किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
11. वन भूमि पर भूमिगत पानी की पाईप लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार उपरोक्तानुसार 0.75 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा। खोदे गये गढ़डों को आवेदक द्वारा पूरा जाकर समतल स्थिति में लाया जावेगा।
12. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा एवं वन ही रहेगा।
13. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।
14. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई निकाली गई मिट्टी से संबंधित वनाधिकारी की उपस्थिति में किया जाकर सूचना वन मंडल अधिकारी को आवेदक स्वयं लिखित में देगा।
15. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन् नहीं किया जावेगा।
16. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।
17. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है ,तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
18. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि आपके द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में ही कार्य किया जावेगा, अन्य वन क्षेत्रों में नहीं।
19. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी, एवं वन मंडल अधिकारी दमोह वन मंडल दमोह को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।
20. आवेदक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन किया जावेगा।
21. वनभूमि में ओवर बर्डन की डम्पिंग नहीं की जावेगी।
22. नाली खुदाई हेतु ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।
23. यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र., द्वारा एन.पी.व्ही. जमा करने सहित अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होगी।

<u>यह स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से जारी की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्त क्र0–01 से 23 तक के पालन से संबंधित वचन पत्र एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही औपचारिक/अंतिम स्वीकृति प्रदान की जावेगी। औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ किया जाये।</u>

(एम0एस0 उइके भा.व.से.)
वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल (सा.) दमोह (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/माचि./2021/4911 दमोह, दिनांक 17-11-21

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
3. उप वनमण्डल अधिकारी दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. महाप्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना कियान्वयन इकाई दमोह एफ–1 सिचाई कॉलोनी जबलपुर नाका रोड दमोह की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल (सा.) दमोह (म.प्र.)